विद्यालय उपहार योजना

स्कूल शिक्षा विभाग
मध्यप्रदेश

विद्यालयों के विकास के लिए 'विद्यालय उपहार योजना'

योजना के उद्देश्य :

- विद्यालयों को अपनी आवश्यकताओं को चिन्हित करने में सहायता करना।
- समाज के विभिन्न वर्गों को शाला के साथ जुड़ने हेतु एक मंच उपलब्ध कराना तथा शाला हित में उनका एक समूह बनाना।
- विद्यालयों को वस्तुरूप सहायता उपलब्ध कराना।
- विद्यालयों का अधोसंरचनात्मक एवं अकादमिक विकास करना।

योजना के हितग्राही :

कक्षा 1 से 12 तक के सभी शासकीय विद्यालय

योजना की प्रक्रिया :

- इस योजना के अन्तर्गत एजुकेशन पोर्टल पर एक आइकॉन उपलब्ध होगा।
- कोई भी व्यक्ति, समूह, कम्पनी, ट्रस्ट या दानदाता अपनी इच्छा अनुसार विद्यालयों को वस्तुरूप उपहार दे सकेंगे।
- पोर्टल पर विद्यालय, अपनी शाला की प्रमुख आवश्यकताओं को चिन्हित कर, प्राथमिकता के क्रम में सूचीबद्ध करेंगे।
- विद्यालय उन आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करेंगे, जिनकी विद्यालय को अत्यंत आवश्यकता है।
- विद्यालयवार आवश्यकताओं की सूची, विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक कार्यालय द्वारा, एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
- इस सूची के आधार पर कोई भी व्यक्ति, संस्था, समूह, ट्रस्ट या कम्पनी इन विद्यालयों को आवश्यक सामग्री उपहार के रूप में दे सकेंगे।
- उपहार प्रदान करने वालों को विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा सामग्री अभिस्वीकृति एवं धन्यवाद पत्र दिया जाएगा तथा उनका नाम एज्युकेशन पोर्टल पर दिया जाएगा।
- विद्यालय स्तर पर समस्त योजना शाला प्रबन्धन समिति के माध्यम से संचालित होगी।

सहायता के स्वरूप :

विद्यालयों के वस्तुरूप उपहार प्राप्त करने हेतु सुझावात्मक सूचीः

1. छात्रावास के किचन हेतु आवश्यक सामग्री
2. शुद्ध पेय जल हेतु फिल्टर, नल कनेक्शन, वाटर कूलर
3. ट्यूबवेल में इलेक्ट्रिक मोटर लगवाना
4. पंखे, सी.एफ.एल./एल.ई.डी./सोलर लाइट
5. सौर ऊर्जा उपकरणों की स्थापना करवाना
6. शिक्षण सहायक सामग्री, ग्रीन बोर्ड, मानचित्र, दृश्य-श्रव्य शैक्षिक उपकरण
7. कम्प्यूटर, टीवी, बैटरी या अन्य उपकरण
8. पुस्तकालय हेतु शेल्फ एवं अलमारी की व्यवस्था
9. विज्ञान/अन्य प्रयोगशालाओं के उपकरण
10. विद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप फर्नीचर/खेल सामग्री उपलब्ध कराना
11. शौचालय के ऊपर ओवरहेड टैंक लगवाना
12. खेल मैदान का समतलीकरण
13. विद्यालय भवन की मरम्मत करवाना, पुताई करवाना
14. विद्यालय के लिए बाउंड्री या फेंसिंग करवाना, पेड़-पौधों की फेंसिंग
15. विद्यालय भवन/कक्ष/खेल मैदान के लिए भूमि उपलब्ध करना
16. विद्यालय भवन का निमार्ण (पी.डब्ल्यू.डी के पर्यवेक्षण में)
17. शाला प्रबन्धन समिति की स्वीकृति के अनुसार अन्य कार्य

इस योजना में आर्थिक सहायता को शामिल नहीं किया गया है।

पारसचन्द्र जैन
मंत्री, स्कूल शिक्षा, म.प्र.

दीपक जोशी
राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा, म.प्र.

विद्यालय उपहार योजना

आग्रह

यह योजना समाज और स्कूल के जुड़ाव की योजना है। इस योजना से जुड़कर व्यक्ति, संस्था या औद्योगिक प्रतिष्ठानों के द्वारा स्कूलों की बेहतरी और विकास के लिए कार्य किया जा सकता है।

राज्य शिक्षा केन्द्र
मध्यप्रदेश
बी-विंग, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल